—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 26 / 2025

उनवान

वीर सिंह पुत्र गबरूलाल जाति माली निवासी ई 197 शास्त्री नगर पार्क नम्बर 4 के पास अजमेर।

—— वादी :— जरियें अधिवकता श्री हीरालाल माली

बनाम

1. कालू पुत्र श्योजी
2. शंकर पुत्र श्योजी,
3. मेघराज पुत्र रतन जाति भील निवासी केरियाखुर्द,
4. रामरतन पुत्र सुवालाल जाति जाट निवासी केरियाखुर्द,
5. बैंक प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा रामसर नसीराबाद
6. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——— प्रतिवादीगण :— 1 से 5 अनुपस्थित, 6 जरियें राज. पैरोकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 131 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

—: निर्णय :— दिनांक :— 17.7.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम केरिया खुर्द के वंर्किग नम्बर 638 रकबा 45—3—10 में से 15—0—0 भूमि का आवंटन दिनांक 08.08.1975 को वादी को किया गयां उक्त आवंटन आदेश की पालना में नामान्तकरण संख्या 1 दिनांक 14.10.86 द्वारा वादी के नाम उक्त आराजी अंकित की गयी। वंर्किग खसरा नम्बर 638 के हाल खसरा नम्बर 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323 मिन व 286 / 1305 व 286 / 1215 बने है। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी वादी के नाम दर्ज नही कर सिवायचक अंकित कर दी गयी। शुद्वी पत्र धारा 166 के तहत सिवायचक खसरा नम्बर 316 रकबा 3.35 में से नवीन खसरा नम्बर 1129 / 316 रकबा 2.40 है0 पर वादी को खातेदार दर्ज किया गया। किन्तु वादी आवंटन दिनांक से ही हाल खसरा नम्बर 286 / 1512, 317, 318, 1130 / 316 पर काबिज है। राजस्व अधिकारियों ने वादी को राजस्व मानचित्र में हाल खसरा नम्बर 1129 / 316 पर बैठा दिया है। श्योजी पुत्र लादू भील आवंटन दिनांक से हाल खसरा नम्बर 1129 / 316 पर काबिज हैं।मौके पर वादी व श्योजी अपनी—अपनी भूमि पर काबिज है। 1129 / 316 वादी के नाम है किन्तु वादी के स्थान पर श्योजी को बेठा दिया है। खसरा नम्बर 286 / 1512 जो कि श्योजी के नाम है, पर वादी का कबजा है उक्त खसरा नम्बर का रकबा भी 2.40 के स्थान पर 1.62 कर [illegible] मानचित्र में त्रुटिपूर्ण अंकन के कारण माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2024 की पालना में पत्थरगढी की कार्यवाही भी नही हो पायी है। अतः [illegible] के नाम हाल खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:34:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

1129/316 के स्थान पर 286/512 अंकन किया जावे। हाल खसरा नम्बर 317, 318, 1130/316 पर भी वादी का कब्जा आवंटन दिनांक से होने के कारण वादी के नाम खातेदारी दर्ज की जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।
राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी को वंक्रिग खसरा नम्बर 638 में से 15–0–0 भूमि का आवंटन हुआ था। हाल खसरा नमबर 1129/316 रकबा 2.40 वादी के नाम खातेदारी दर्ज है। खसरा नम्बर 319 से 322 रकबा 1.62 रामरतन पुत्र सुवालाल के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 286/1512 रकबा 1.62 श्योजी पुत्र लादू के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 317, 318, 1130/316 सिवायचक दर्ज है। वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा नही हैं वादी को आवंटित भूमि के नामान्तकरण पर नजरी नक्शा नही बना हुआ है। मौके पर वादी का कब्जा काश्त नही है खसरा नम्बर 317, 318 व 1130/316 सिवायचक होने के कारण राजहित प्रभावित होता है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादीको आवंटित आराजी हाल राजस्व मानचित्र में त्रुटिपूर्ण अंकन करने के कारण वादी राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती व खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है ?
—— वादी

2. आया आराजी मुतनाजा सिवायचक होने, वादी का कब्जा काश्त नही हाने व तरमीम शुद्वी का कोई पुख्ता आधार नही होने के कारण वाद खारिज योग्य है ?
—— प्रतिवादी संख्या 6

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, आवंटन पत्र पेश किये तथा वादी वीर सिंह का शपथ पत्र पेश किया।

राज. पैरोकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया।

<u>**तनकी संख्या 1:–**</u>

ग्राम केरिया खुर्द के वंर्किग नम्बर 638 रकबा 45–3–10 में से 15–0–0 भूमि का आवंटन दिनांक 08.08.1975 को वादी को किया गयां उक्त आवंटन आदेश की पालना में नामान्तकरण संख्या 1 दिनांक 14.10.86 द्वारा वादी के नाम उक्त आराजी अंकित की गयी। वंर्किग खसरा नम्बर 638 के हाल खसरा नम्बर 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323 मिन व 286/1512 बने है। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी वादी के नाम दर्ज नही कर सिवायचक अंकित कर दी गयी। जो शुद्वी पत्र धारा 166 के तहत सिवायचक खसरा नम्बर 316 रकबा 3.35 में से नवीन खसरा नम्बर 1129/316 रकबा 2.40 है0 पर वादी को खातेदार दर्ज किया गया। राजस्व अभिलेख के अनुसार हाल खसरा नमबर 1129/316 रकबा 2.40 वादी के नाम खातेदारी दर्ज है। खसरा नम्बर 319 से 322 रकबा 1.62 रामरतन पुत्र सुवालाल के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 286/1512 रकबा 1.62 श्योजी पुत्र लादू के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 317, 318, 1130/316 सिवायचक दर्ज है। राज. पैरोकार ने अपने जवाब में हाल खसरा नम्बर 316 पर पूर्व व वर्तमान में वादी का कब्जा नही बताया गया है। वादी द्वारा भी अपने कब्जे [illegible] में खसरा गिरदावरी आदि पेश नही की है। वादी का कथन है कि [illegible] 286/1512 पर है किनतु उक्त खसरा नम्बर श्योजी के नाम खातेदारी दर्ज है साथ ही खसरा नम्बर 286/1512 का रकबा 1.62 ही हे

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:34:05 IST
Reason: SelfAttested

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

1129/316 के स्थान पर 286/512 अंकन किया जावे। हाल खसरा नम्बर 317, 318, 1130/316 पर भी वादी का कब्जा आवंटन दिनांक से होने के कारण वादी के नाम खातेदारी दर्ज की जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी को वंकिग खसरा नम्बर 638 में से 15–0–0 भूमि का आवंटन हुआ था। हाल खसरा नमबर 1129/316 रकबा 2.40 वादी के नाम खातेदारी दर्ज है। खसरा नम्बर 319 से 322 रकबा 1.62 रामरतन पुत्र सुवालाल के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 286/1512 रकबा 1.62 श्योजी पुत्र लादू के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 317, 318, 1130/316 सिवायचक दर्ज है। वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा नही हैं वादी को आवंटित भूमि के नामान्तकरण पर नजरी नक्शा नही बना हुआ है। मौके पर वादी का कब्जा काश्त नही है खसरा नम्बर 317, 318 व 1130/316 सिवायचक होने के कारण राजहित प्रभावित होता है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादीको आवंटित आराजी हाल राजस्व मानचित्र में त्रुटिपूर्ण अंकन करने के कारण वादी राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती व खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है ?

—— वादी

2. आया आराजी मुतनाजा सिवायचक होने, वादी का कब्जा काश्त नही हाने व तरमीम शुद्वी का कोई पुख्ता आधार नही होने के कारण वाद खारिज योग्य है ?

—— प्रतिवादी संख्या 6

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, आवंटन पत्र पेश किये तथा वादी वीर सिंह का शपथ पत्र पेश किया।

राज. पैरोकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया।

<u>तनकी संख्या 1:–</u>

ग्राम केरिया खुर्द के वंर्किग नम्बर 638 रकबा 45–3–10 में से 15–0–0 भूमि का आवंटन दिनांक 08.08.1975 को वादी को किया गयां उक्त आवंटन आदेश की पालना में नामान्तकरण संख्या 1 दिनांक 14.10.86 द्वारा वादी के नाम उक्त आराजी अंकित की गयी। वंर्किग खसरा नम्बर 638 के हाल खसरा नम्बर 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323 मिन व 286/1512 बने है। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी वादी के नाम दर्ज नही कर सिवायचक अंकित कर दी गयी। जो शुद्वी पत्र धारा 166 के तहत सिवायचक खसरा नम्बर 316 रकबा 3.35 में से नवीन खसरा नम्बर 1129/316 रकबा 2.40 है0 पर वादी को खातेदार दर्ज किया गया। राजस्व अभिलेख के अनुसार हाल खसरा नमबर 1129/316 रकबा 2.40 वादी के नाम खातेदारी दर्ज है। खसरा नम्बर 319 से 322 रकबा 1.62 रामरतन पुत्र सुवालाल के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 286/1512 रकबा 1.62 श्योजी पुत्र लादू के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 317, 318, 1130/316 सिवायचक दर्ज है। राज. पैरोकार ने अपने जवाब में हाल खसरा नम्बर 316 पर पूर्व व वर्तमान में वादी का कब्जा नही बताया गया है। वादी द्वारा भी अपने कब्जे ... में खसरा गिरदावरी आदि पेश नही की है। वादी का कथन है कि ... 512 पर है किन्तु उक्त खसरा नम्बर श्योजी के नाम खातेदारी दर्ज है साथ ही खसरा नम्बर 286/1512 का रकबा 1.62 ही है

Signature Not Verified
Digitally signed by Dev Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:34:05 IST
Reason: SelfAttested

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

जबकि वादी के नाम दर्ज खसरा नम्बर 1129/316 का रकबा 2.40 है। वादी शेष रकबे के लिये हाल खसरा नम्बर 317, 318 व 1130/3216 पर खातेदारी चाहता है किन्तु उक्त खसरा नम्बर सिवायचक है व उक्त खसरा नम्बर पर भी वादी का कब्जा नही है। नामान्तकरण संख्या 1 दिनांक 14.10.1986 द्वारा वादी को उक्त आराजी वंर्किग जमाबंदी में आवंटित व अंकित की गयी। किन्तु तत्समय नामान्तकरण में वादी को आवंटित भूमि का नजरी नक्शा नही बनाया गया। वादी को उक्त भूमि आवंटन के बाद वंर्किग खसरा नम्बर 63 रकबा 45–3–10 में से 15–0–0 भूमि का कब्जा कोन सी भूमि पर दिया गया वह दस्तावेज भी पत्रावली पर नही है।वादी को उक्त आराजी दिनांक 08.08.1975 को आवंअित हुयी थी। वादी द्वारा इतने समय बाद नक्शा दुरूस्ती का वाद पेश किया है जिससे भी स्पष्ट है कि वादी का कब्जा आराजी मुतनाजा पर नही है। वादी द्वारा पूर्व में हाजा न्यायालय में पत्थरगढी का आवेदन पेश किया जिसमें उसके द्वारा हाल खसरा नम्बर 1129/316 रकबा 2.40 पर ही अपना कब्जा बताया गया तथा उसी खसरा नम्बर की पतथरगढी करने का अनुतोष चाहा था, जबकि प्रश्नगत वाद में वादी अपना कब्जा
हाल खसरा नम्बर 286/1512 रकबा 1.62 पर होने का कथन करता है। उक्तानुसार तनकी विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार वादी आराजी मुतनाजा पर खातेदारी व मानचित्र दुरूस्त करवाने का अधिकारी नही हैं। वादी द्वरा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिसमें आवंटन दिनांक अथवा बाद में उसको नजरी नक्शा दर्शाते हुये आवंटित भूमि का कब्जा दिया गया हो। वादी के नाम आवंटित आराजी दर्ज करने वाले नामान्तकरण में भी आवंटित भूमि का नजरी नक्शा नही बनाया गया है। वादी द्वारा हाल खसरा नम्बर 286/1512 रकबा 1.62 व खसरा नम्बर 316, 317, 318, 323 पर खातेदारी चाही है किन्तु खसरा नम्बर 286/1512 अन्य व्यक्ति की खातेदारी में होने व शेष आराजी सिवायचक होने से वादी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। तनकी विरूद्व वादी बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम केरिया खुर्द की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:34:05 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

वीर सिंह बनाम कालू

दावा बाबत :–88, 188, राज. का. अधि0 1955 व धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 26/2025
पेश करने की दिनांक – 03.02.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक हीरालाल माली मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम केरिया खुर्द की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 17 माह 7 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:34:05 IST
Reason: SelfAttested